यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी देहारादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी देहरादून के माह 12/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री वजय पाल संह नेगी, व.ले.प एवं श्री एस.के. सन्हा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 17.02.2018 से 28.02.2018 तक श्री डी.के. पपलानी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री मोः सलीम खान व.ले.प. श्री दीपेश कुमार. एवं श्री रामवीर संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 23.12.2016 से 03.01.2017. तक श्री डी.एन. मश्रा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 11/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः च कत्सा सेवाए, सम्पूर्ण देहारादून

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है

(₹लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ ध क्य (+)	बचत (-) `	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	0	0	1818.37	1672.97	459.80	416.25	-	145.40	43.54
2016-17	0	0	1641.21	1322.70	214.65	178.01	-	318.51	36.64
2017-18	0	0	1653.82	1289.23	133.98	68.50	-	364.59	65.47

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई अ' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव च कत्सा एवं स्वास्थ्य उत्तराखंड शासन
2. निदेशक च कत्सा एवं स्वास्थ्य उत्तराखंड देहारादून
3. मुख्य च कत्सा अ धकारी देहारादून
4. उप च कत्सा अ धकारी देहारादून

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में मुख्य च कत्सा अ धकारी देहारादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य च कत्सा अ धकारी देहारादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 1– विभागीय उदासीनता के चलते कार्यदायी संस्था को पुनरीक्षित धनराशि रू0 696.92 लाख अवमुक्त होने के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

चिकित्सा सेवाओं के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों को भवन मुहैया कराने के उद्देश्य के लिए निर्माण कार्य की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान कर धनराशि अवमुक्त की गयी थी ताकि भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कर निर्मित भवन स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों को हस्तांतरित किया जा सकें।

निर्माण सम्बन्धि लेखा अभिलेखों की जांच में सम्प्रेक्षा द्वारा पाया कि जनपद देहरादून में स्वास्थ्य सेवायें के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों की भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आगणन की धनराशि स्वीकृत कर आवंटित होने के बाद निर्माण लागत में वृद्धि होने के चलते आगणन कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित किया गया जिसे शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा पुनरीक्षित धनरशि रू0 696.92 लाख पेयजल निर्माण निगम चकराता, (कार्यदायी संस्था) को अवमुक्त कर दिया गया फिर भी निर्माण कार्य स्वीकृति के 08 से 10 वर्षो के बाद भी अपूर्ण रहे जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृति वर्ष	प्रारम्भिक आगणन स्वीकृति	पुनरीक्षित आगणन/ स्वीकृति वर्ष	प्रतिशत वृद्वि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	कार्य की स्वीकृति
1	प्रा0स्वा0 केन्द्र मानथात	2005–06	रु 51.80	रु 97.60	83 %	रु 97.60	रु 89.04	अपूर्ण
2	एस0ए0डी0 कामला	2006–08	रु 52.54	रु 113.32	116 %	रु 113.32	रु 113.32	अपूर्ण
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालसी	2009–10	रु 290.71	रु 486.00	67 %	रु 486.00	रु 486.00	अपूर्ण
योग			**395.05**	**696.92**		**696.92**		

सम्प्रेक्षा द्वारा आगे पाया गया कि निर्माण लागत में प्रतिशत से प्रतिशत वृद्वि होने के बावजूद, पुनरीक्षित आगणन रू0 697.00 लाख धनराशि स्वीकृति कर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त होने के बाद भी कार्य अपूर्ण था जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानथात/एस0ए0डी0 कामला के लिए पुनरीक्षित धनराशि क्रमशः रू0 97.60 लाख, रू0 113.32 लाख कार्यदायी संस्था को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानथात् के लिए पुनरीक्षित धनराशि रू0 45.80 लाख वर्ष 2010–11 व 2012–13 में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जा चुका था फिर भी उक्त निर्माण कार्य अपूर्ण थे जबकि एस0ए0डी0 कामला की पुनरीक्षित धनराशि क्रमशः रू0 55.78 लाख वर्ष 2014–15 में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया था फिर भी वर्तमान तक कार्य अपूर्ण थे, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालसी को पुनरीक्षित धनराशि 486.00 लाख को कार्यदायी संस्था को वर्ष 2011 से 2017 के बीच में आंवटित किया गया था फिर भी कार्य अपूर्ण था इस प्रकार कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में से कोई भी निर्माण कार्य पुनरीक्षित धनराशि उपलब्ध कराने पर भी पूर्ण नहीं किया गया। इस प्रकार कार्यदायी संस्था को पुनरीक्षित धनराशि सहित रू0 696.92 लाख अवमुक्त किये जाने के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

इसे इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क बैठकों में तथा बार-बार दूरभाष पर निर्माण कार्यो को समयान्तरित पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निर्दे शत कया जाता

है। उत्तर स्वीकार्य नही है क्यों क कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरी क्षत आगंणन की धनरा श 696.92 लाख की धनरा श कार्यदायी संस्था को आवंटित करने के बाद भी उक्त निर्माण कार्य लेखा परीक्षा अव ध तक अपूर्ण थे। जब क उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति वर्ष से 08 से 10 वर्षो के बाद भी अपूर्ण था।

इस प्रकार वभागीय उदासीनता के चलते कार्यदायी संस्था को पुनरी क्षत धनरा श 696.92 लाख अवमुक्त होने के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1:- विभागीय शिथिलता के फलस्वरूप बीमा धनराशि रू0 93.68 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी से प्राप्त न होने से राजस्व क्षति।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 परिवारों को अनुबंधित चिकित्सालयों/अस्पतालों में भर्ती होकर स्वास्थ्य इलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक अप्रैल 2015 द्वारा ''मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजन'' को राज्य के तेरह जिलों में प्रांरभ किया गया था जिसके अंतर्गत/स्मार्ट कार्ड की प्रति परिवार रू0 50.00 हजार तक इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है तथा बाद में गंभीर रोगों के लिए रू0 1.25 लाख तक इलाज प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया था। इस योजना के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु भिन्न–भिन्न चिकित्सालयों द्वारा बीमा कंपनी/टी0पी0ए0 सर्विसेस लि0 से अनुबंध निष्पादित किया गया जिसके शर्तो के अनुसार संबधित चिकित्सालयों को बीमा धनराशि का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत (एक महीने तक) किया जाना प्रावधानित किया गया था, यदि चिकित्सालयों को भुगतानित धनराशि प्राप्त नही होती हैं **या** बीमा कंपनी द्वारा निरस्त किया जाता है तो कारण सहित चिकित्सालयों को अवगत कराया जायेगा तथा चिकित्सालयों द्वारा जिला/राज्य स्तर पर गठित ''शिकायत निवारण कमेटी'' में शिकायत कर्ता (चिकित्सालय) के द्वारा अपील कर मामले का निपटारा कर बीमा कंपनी से लंबित बीमा धनराशि प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि जनपद देहरादून में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत (अगस्त, 2016 से 30 सितम्बर, 2017 तक) विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों द्वारा उपचारित लाभार्थीयों पर व्यय धनराशि का भुगतान बीमा कंपनी (बजाज इंश्योरेन्श/यूनाइटेड इंश्योरेन्श) से सम्बन्धित चिकित्सालयों को रू0 **93.68** लाख प्राप्त नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप सरकारी चिकित्सालयों को राजस्व क्षति उठानी पड़ी।

क्र.सं.	**सरकारी चिकित्सालय का नाम**	**लंबित मामले**	**लंबित धनराशि**
1	सामु0स्वा0केन्द्र मसूरी	7	10800
2	संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर	14	113250
3	दून चिकित्सालय	1528	9244071
योग		**1916**	**9368121**

लेखा परीक्षा द्वारा आगे पाया गया कि बीमा कंपनी द्वारा लंबित बीमा धनराशि **का** ना तो चिकित्सालयों को भुगतान किया गया है **और** ना ही कारण से अवगत कराया गया था। लम्बित भुगतान के निपटारा हेतु जिला/राज्य स्तर पर ''शिकायत निवारण कमेटी'' का गठन किया गया था जबकि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा बीमा कंपनी पर लंबित बीमा धनराशि प्राप्ति हेतु कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित **नही** की गयी जो विभागीय उदासीनता को दर्शाता है, परिणाम स्वरूप

लंबित/बकाया धनराशि रू0 93.68 लाख. प्राप्त नहीं होने से सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सालयों को राजस्व क्षति उठानी पड़ेगी जो अप्रत्यक्षतः सरकार को वहन करना पड़ेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर मु. च.अ ध. द्वारा बताया गया क बीमा कम्पनी के साथ शकायत निवारण स मति के आहूत बैठक में लम्बित बीमा धनरा श की संबं धत च कत्सालयों के भुगतान हेतु निर्दे शत कया जाता है परंतु उनके द्वारा लम्बित भुगतान नहीं कया गया उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित अव ध 30 दिनों के अंदर लम्बित भुगतान संबं धत च कत्सालयों को भुगतानित की जानी अपे क्षत थी परंतु एक साल से अ धक अव ध से लम्बित बीमा धनरा श का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा नहीं कया गया जब क जनपद स्तर पर मु. च.अ ध. को नोडल अ धकारी ना मत कया गया था जिससे समस्त लम्बित बीमा धनरा श का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा संबं धत राजकीय च कत्सालयों को यथाशीघ्र कये जाने की सम्पूर्ण देखरेख मु. च.अ ध. को जिम्मेदारी निर्धारित की गयी थी फर भी बीमा कम्पनी द्वारा राजकीय च कत्सालयों को लम्बित बीमा धनरा श का भुगतान ₹ 93.68 लाख नहीं कया गया जो वभागीय उदासीनता का धोतक है, परिणामस्वरुप राजकीय च कत्सालयों को ना सर्फ राजस्व क्षति उठानी पड़ी बल्कि राज्य सरकार को अतिरिक्त धनरा श का वहन करना पडेगा।

इस प्रकार वभागीय श थलता के फलस्वरुप ₹ 93.68 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी से प्राप्त न होने से राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 2- **निबंधित फर्मों से नियमानुसार टी0डी0एस0 की वसूली न करने** के परिणामस्वरुप रु. 1,75,883/- **की राजस्व क्षति।**

आयकर अधिनियम की धारा 194सी के तहत यह, स्पष्ट किया गया था कि सामानो की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक फर्मो को भुगतान करने से पहले उनके द्वारा प्रस्तुत बिलो से @ 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती करने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। तथा भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 (जनवरी तक) के लेखा अभिलेखो की लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त अवधि में सामानो की आपूर्ति करने हेतु विज्ञप्ति द्वारा निविदा आंमत्रित करने के उपरान्त फर्मो के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को निविदा समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके आधार पर उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। लेखा परीक्षा द्वारा पाया कि निबंधित फर्मो को नियमानुसार फर्म के नाम से निर्गत पैन को निविदा के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था जिसके आधार पर निविदा समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उक्त फर्मो से आपूर्ति हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया जाना था जबकि लेखापरीक्षा में पाया क सभी फर्मो द्वारा फर्म के नाम से पैन नही होने के बाद भी निविदा समिति द्वारा फर्म के मालिक के Personal नाम से निर्गत पैन को नियम के विपरीत ना सिर्फ स्वीकृत किया गया था बल्कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त सभी फर्मो से आयकर अधिनियम के तहत @ 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती करने के बजाय @ 1 प्रतिशत टी.डी.एस. की कटौती की गयी (परिशिष्ट संलग्न) जिसके परिणाम स्वरूप रू0 1,75,883/- की धनराशि अप्राप्त होने से प्रत्यक्ष रुप से सरकार को राजस्व क्षति उठानी पड़ी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया गया क वर्ष 2015-16 से 17-18 तक के दौरान आमन्त्रित नि वदा में फर्मो द्वारा फर्म के नाम से निर्गत **PAN** न देकर व्यक्तिगत नाम से निर्गत **PAN** प्रस्तुत कया गया था, त्रुटिवश व्यक्तिगत **PAN** मानते हुए 1% **TDS** की कटौती की गयी थी लेखापरीक्षा के द्वारा आप त्त के संज्ञान के पश्चात सम्बन्धित फर्मों से 2% **TDS** लया जाना अपे क्षत था। उक्त के संबंध में संबं धत फर्म से 2% की दर से **TDS** की कटौती देयकों से की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क नि वदा स मति द्वारा फर्मो से अनुबंध निष्पादित करते समय फर्म के नाम से निर्गत **PAN** को ही मान्य कर अनुबंध निष्पादित कर 2% **TDS** की जानी अपे क्षत थी जो वभाग द्वारा नहीं कया गया, इसके अलावा नि वदा स मति द्वारा फर्म के नाम से **PAN** नहीं होने पर उक्त फर्मों को अनुबंध करने के बजाय अनुबंध से बाहर कया जाना चाहिए परिणामस्वरुप **TDS** की वसूली न करने के परिणामस्वरुप सरकार को रु. 1,75,883/- की राजस्व क्षति उठानी पड़ी।

इस प्रकार, निबंधित फर्मों से नियमानुसार टी0डी0एस0 की वसूली न करने के परिणामस्वरुप रु. 1,75,883/- की राजस्व क्षति उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 3:- उपकरण क्रय नीति की अनदेखी कर ` 95.20 लाख की सामग्री क्रय करना ।

राजकीय च कित्सालयों/औषधालयों के लए उपकरण क्रय नीति दिनांक 08.01.2015 के बिन्दु संख्या 07 के अनुसार ऑ फस/च कित्सालय फर्नीचर, सर्जिकल सामग्री च कित्सा साहित्य आदि के लए तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर कम से कम ` 1.00 करोड़ होना चाहिए । उक्त टर्न ओवर होल सेल प्राइस पर आधारित है।

मुख्य च कित्सा धकारी देहरादून के जिला योजना के अंतर्गत उपकरण, औष ध एवं साज-सज्जा के अ भलेखों की जांच करने पर पाया गया क कार्यालय द्वारा वर्ष के दौरान क्रय कए जाने वाले ऑ फस/च कित्सालय फर्नीचर, सर्जिकल सामग्री के क्रय हेतु फ़र्मों के रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 15.06.2015 को एक वज्ञप्ति प्रका शत की गयी, जिसमे उपकरण क्रय नीति का उल्लंघन करते हुए फर्नीचर/साज-सज्जा/च कित्सा उपकरण की नि वदा हेतु ` 50 लाख का वा र्षक टर्न ओवर होना दर्शाया गया। वर्ष 2015-16 में रजिस्टर्ड फ़र्म से फर्नीचर/साज-सज्जा/ च कित्सा उपकरण हेतु नि वदाएँ आमंत्रित की गयी एवं वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट ` 50.00 लाख के सापेक्ष ` 49.99 लाख का क्रय कया गया। वर्ष 2016-17 में जिला योजना में आवंटित धनरा श ` 45.39 लाख के सापेक्ष ` 45.21 लाख का व्यय कया गया। अ भलेखों की जांच में देखा गया की वर्ष 2016-17 हेतु कोई नि वदा आमंत्रित नहीं की गयी एवं जिला अ धकारी महोदय से क्रय नीति दिनांक 08.01.2015 के बिन्दु संख्या 07 का हवाला देते हुए क आपूर्तिकर्ता फ़र्म ऑ फस/च कित्सालय फर्नीचर, सर्जिकल सामग्री च कित्सा साहित्य आदि के लए तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर कम से कम ` 1.00 करोड़ होना चाहिए के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है एवं वर्ष 2015-16 के आधार पर क्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध कया एवं जिला अ धकारी महोदय द्वारा उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत अनुमति प्रदान कर दी गयी जब क वास्तव में इस बिन्दु का अनुपालन ही नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर मुख्य च कित्सा अ धकारी कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क उपकरण क्रय नीति क शर्तो को पूरा करने में कठिनाइयाँ आ रही थी एवं क्रय नीति में नि वदा फ़र्म का 03 वर्ष का वा र्षक टर्न ओवर एक करोड़ लखा जाना चाहिए था जिसे मानवीय भूल के कारण ` 50 लाख दर्शाया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क फ़र्मों के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रका शत वज्ञप्ति में क्रय नीति के अनुसार पूर्ण शर्तों का उल्लेख नहीं कया गया एवं आगामी वर्ष में उपकरण क्रय नीति क उन्ही शर्तों का उल्लेख कर जिला अ धकारी से अनुमति प्राप्त कर व्यय कया गया ।
प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 4- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभा र्थयों को **निर्धारित मानदेय** रु. 3.46 लाख **का भुगतान न किया जाना।**

शासनादेश दिनॉक 21.02.15 के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से शासन द्वारा परिवार नियोजन में शामिल सभी सदस्यों को प्रोत्साहन की धनराशि **भुगतान हेतु** निर्धारित किया गया था जिसके अनुसार निम्नवम् सदस्यों को प्रत्येक परिवार नियोजन हेतु भुगतान किये जाने को एक्रिडेटिड/एन0जी0ओ0/शासकीय सेवा प्रदाता केन्द्रों हेतु निम्नवत धनरा श का भुगतान करने हेतु प्रावधानित किया गया था।

क्रम सं	व्यय की मदे	वर्तमान में व्यय की जा रही/ प्रदान की जा रही धनरा श रु में		प्रस्ता वत व्यय की जा रही/ प्रदान की जा रही धनरा श रु में	
		नसबंदी		नसबंदी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	फै स लटी	1300	1350	2000	2000
2.	लाभार्थी	200	150	1000	1000
	कुल	1500	1500	3000	3000

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के अंतर्गत संचा लत हैल्थ पोस्ट के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के निर्धारित इन्सेटिव का भुगतान ₹ 346400/- संबंधित बेनिफीसरी को नही किया गया (परि शष्ट संलग्न)। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त हैल्थपोस्टों के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा संबंधित सदस्यों को प्रोत्साहन धनरा श का भुगतान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क सरकारी हैल्थ पोस्टों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत निजी च कत्सालयों को अनुबंध के तहत लाभा र्थयों को धनरा श दिये जाने का प्रवाधान है ले कन निजी च कत्सालयों द्वारा यदि लाभा र्थयों को यह धनरा श नहीं दी गयी तो हेल्थ पोस्टों व परिवार नियोजन अनुभाग को उक्त के संदर्भ में दिशानिर्देश दिये जायेगें, उत्तर मान्य नहीं है क्यों क हेल्थ पोस्टो के इन्चार्ज द्वारा निजी च कत्सालयों के द्वारा प्रस्तुत परिवार नियोजन प्रपत्र के आधार पर निर्धारित धनरा श का भुगतान कया गया ले कन निजी च कत्सालयों द्वारा पुरुष/महिला नसबंदी लाभा र्थयों को निर्धारित धनरा श का भुगतान कया या नहीं यह हैल्थ पोस्टों के इन्चार्ज के संज्ञान में नहीं था। जिससे स्पष्ट होता है क संबं धत लाभा र्थयों को निर्धारित मानदेय का भुगतान रु. 346400 निजी च कत्सालयों द्वारा नहीं कया गया था, इसके अलावा, नसबंदी हेतु प्राप्त स्वीकृति प्रपत्र में भुगतान प्राप्ति की ववरणी के अवलोकन में पाया गया क लाभा र्थयों द्वारा स्वीकृति प्रपत्र के भुगतान प्राप्ति कॉलम में कुछ भी नहीं दर्शाया गया था जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट है क निजी च कत्सालयों द्वारा महिला/पुरुष नसबंदी लाभा र्थयों हेतु निर्धारित प्रोत्साहन धनरा श का भुगतान नहीं कया जा रहा है। परिणामस्वरूप ना सिर्फ उक्त शासनादेश के उलंघन कर संबधित लाभा र्थयों को ईन्सेटिव धनरा श से वचिंत रखा गया बल्कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के उद्शयों को सफलीभूत करने में विभाग पूर्णतः असफल रहा।

इस प्रकार, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभा र्थयों को निर्धारित मानदेय रु. 3.46 लाख का भुगतान न किये जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 5- सामग्री आपूर्ति फर्मो से VAT का रु 4.77 लाख का अतिरिक्त भुगतान करना।

कार्यालय मुख्य च कित्सा अ धकारी देहरादून द्वारा गठित नि वदा स मति द्वारा वर्षवार व वध सामग्री/स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल्स सामग्री आपूर्ति हेतु नि वदा आमंत्रित की जाती है। ता क फर्मो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष तुलनात्मक एल-1 निर्धारित किया जाए ता क उसी एल-1 फर्म से संबं धत सामग्री वर्षभर आवश्यकता के आधार पर वभाग द्वारा क्रय की जा सके।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकरी देहरादून के सामग्री आपूर्ति के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए व वध सामग्री/स्टेशनरी, इलेक्ट्रीकल्स सामग्री आपूर्ति करने हेतु निविदा आंमत्रित की गयी थी जिसके सापेक्ष निम्न फर्मो द्वारा निविदा डाली गयी थी जिसके अन्तर्गत दिनांक 14/08/2015 को कन्टीजैन्सी, लेखन सामग्री तथा दिनांक 14/08/2015 को वद्युत सामग्री की खोली गई नि वदा की दर में मैसर्स संजय कुमार को अ धकांश वस्तुओं में L-1 घो षत किया गया था तथा अनुबंध निष्पादित किया गया था तथा दिनांक 23.09.2016 को इलेक्ट्रीकल्स सामग्री हेतु निविदा दर मैसर्स अतुल इलेक्ट्रीकल्स, संजय कुमार, मेघा इण्टर प्राइजेज द्वारा डाली गयी थी, जिसमें नि वदा स मति द्वारा अ धकांश वद्युत सामग्री में मैसर्स संजय कुमार को ही L-1 स्वीकृत कर अनुबंध निष्पादित कयागया था ले कन मैसर्स संजय कुमार द्वारा VAT के लिए यह मांग नहीं किया गया था कि "Vat will be charged extra" जबकि अन्य फर्मो द्वारा सामग्री आपूर्ति की निविदा दर में स्पष्ट रूप से VAT के लए अतिरिक्त "Vat will be Charged extra"मांग किया गया था। फर भी उनकी फर्मों के द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में VAT का अतिरिक्त दर मांग किये जाने पर वभाग द्वारा VAT का अतिरिक्त भुगतान रु477334.00 . किया गया जो अनिय मत था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया गया क संबं धत फर्मो के देयकों में जो VAT के मद में धनरा श भुगतान की गई की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार सामग्री आपूर्ति फर्मों को ,VAT का रु 4,77,334.00 .का अतिरिक्त भुगतान करने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 6:- धनराश ` 73.01 लाख के व्यय के पश्चात भी 81,451 बच्चों/छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न कया जाना ।

भारत सरकार द्वारा बच्चों/किशोर–किशोरियों की स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार को दृष्टिगत रखते हुए फरवरी 2013 से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम के अनुसार नवजात से लेकर 18 वर्ष तक की आयुवर्ग के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार का प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार लक्षित समूह की स्वास्थ्य जॉच का कार्य (i) नवजात से लेकर 6 सप्ताह तक के बच्चों की स्वास्थ्य जॉच एवं उनमें बीमारियों की पहचान प्रत्येक सरकारी प्रसव केन्द्र पर कार्यरत स्टाफ के द्वारा तथा आशा कार्यकत्री के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में घर–घर भ्रमण कर, (ii) 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक के बच्चों का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान का कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण कर तथा (iii) 6 से 18 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों जो सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान का कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा विद्यालयों में भ्रमण कर किया जाना था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **देहरादून** के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः–

1. स्वास्थ्य टीमों द्वारा जनपद **देहरादून** में स्थित समस्त आंगनवाडी केन्द्रों एवं स्कूलों में पूर्ण भ्रमण नहीं किया गया जिसके कारण प्रत्येक वर्ष आंगनबाडी एवं विद्यालय के 81,451 बच्चों/छात्र–छात्राओं (2016–17: 42345 एव 2017–18: 43017) का स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान ही नहीं की गयी। जबकि उक्त **दोनों** वर्षों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ` 73.01 लाख (वर्ष 2016–17 : ` 45.86 लाख एव वर्ष 2017–18: ` 27.15 लाख) व्यय किया गया। विगत **दो** वर्षों के भ्रमण एवं स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका–1 (स्वास्थ्य टीमों द्वारा भ्रमण)

वर्ष	भ्रमण हेतु लक्ष्य		भ्रमण किए		अवशेष भ्रमण	
	आंगनबाडी	स्कूल	आंगनबाडी	स्कूल	आंगनबाडी	स्कूल
2016–17	3922	1575	3290	1389	632	186
2017-18	3922	1497	2735	1309	1187	188

तालिका–2 (स्वास्थ्य टीमों द्वारा स्वास्थ्य जॉच)

वर्ष	स्वास्थ्य परीक्षण हेतु लक्ष्य		किया गया स्वास्थ्य परीक्षण		अवशेष	
	आंगनबाडी	स्कूल	आंगनबाडी	स्कूल	आंगनबाडी	स्कूल
2016–17	86279	122286	82368	83852	3911	38434
2017-18	77496	122286	72913	83852	4583	38434

2. वर्ष 2016–17 से 2017-18 में स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान से छूट गये आंगनबाडी एवं विद्यालयों के 81451 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं की न तो कार्यालय के पास उपलब्ध थी एवं न ही ऐसा कोई अभिलेख मौजूद था जो यह पुष्टि करें कि अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया कि नहीं। यहॉ तक कि स्वास्थ्य टीमों द्वारा शत–प्रतिशत आंगनबाडी एवं स्कूलों में भी भ्रमण नहीं किया।

इस प्रकार, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ` 73.01 लाख **व्यय** किए जाने के बावजूद भी ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा कार्यक्रम के अनुसार नियमित भ्रमण नहीं किया गया, जिसके कारण योजना के शत–प्रतिशत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि **स्वास्थ्य टीमों की ड्यूटी अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगने के कारण स्वास्थ्य टीमों द्वारा शत प्रतिशत आंगनवाड़ी एवं स्कूलों का भ्रमण नहीं कया गया** ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ` 73.01 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी 81451 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न हो पाना कहीं–न–कहीं विभाग की विफलता है।

अतः ` 73.01 लाख **व्यय** किए जाने के बावजूद भी 81451 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2- (ब)

प्रस्तर 6:- धनरा श रु **610000/-** की निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी न कया जाना।

सामान्य वत्तीय नियम 192 के अनुसार वर्ष मे कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिय एवं नियम संख्या 196 एवं 197 के अनुसार अनुपयोगी सामाग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथा शीघ्र नीलामी/ निस्तारण की जानी चाहिय ता क उक्त सामाग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी देहरादून के भंडार से संबन्धित अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क कार्यालय मे वगत 02 वर्षो से रु 610000/ मूल्य की सामाग्री निष्प्रयोज्य/ अनुपयोगी पड़ी हुई थी। जिससे उक्त सामाग्री का साल दर साल निरंतर मूल्य ह्रास होता जा रहा है जिसके कारण उक्त सामाग्री की नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियाँ कम होती जा रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया क सामाग्री को निष्प्रयोज्य कए जाने हेतु कमेटी बनाकर निष्प्रयोज्य कए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्यो क इकाई क उदा सनता के कारण निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी न कए जाने के कारण उससे प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियाँ कम हो रही है, जिस कारण शासकीय हानि हो रही है। अतः धनरा श रु 610000**/-** की निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी न कया जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर1- **निविदा समिति द्वारा फर्मो का निविदा दर स्वीकृत नही होने के बाबजूद फर्मो को सामग्री आपूर्ति के** सापेक्ष रु. 106776.00 का **अनियमित भुगतान** करना।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून के रोकड़ बही के चयनित माह के नमूना जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित फर्मो को निविदा स्वीकृति की दर नही होने के बाबजूद उनके फर्मो को अनियमित रूप से निविदा समिति द्वारा ना सिर्फ स्वीकृत किया गया है बल्कि भुगतान भी किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है –

क्र.सं.	फर्म का नाम	सामग्री का विवरण	बिल संख्या	भुगतानित धनराशि
1	2	3	4	5
1	मैसर्स शिवम ट्रेडस	बांस पेपर, सूती धागा, कैची, मोमबत्ती, फार्मालीन शीशी 400ML, ग्लूस्टीक	541	14703.00
2	मैसर्स दून लेखन मुद्रण सहकारी समिति	ए–4 रीम बॉक्स, कॉर्बन रीम	448	20124.00
3	तदैव	ए–4 पेपर, कैल्कुलेट, लिफाफा, 30 X 24	4480	23992.00
4	तदैव	ए–4 रीम बॉक्स, कॉर्बन रीम	560	24633.00
5	मैसर्स संजय कुमार	स्पीकर आहुजा 100 वॉट फिटिंग वाएरिंग	540	23324.00
योग				**106776.00**

इसे इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकृत करते हुये बताया क कार्यालय क आवश्कता होने के कारण उक्त सामग्री नि वदा स मति द्वारा स्वीकृत नहीं होने के बाबजूद क्रय की गयी थी भ वष्य मे इसकी पुनरावृति नहीं की जाएगी।

इस प्रकार, **निविदा समिति द्वारा फर्मो का निविदा दर स्वीकृत नही होने के बाबजूद उनके फर्मो को सामग्री आपूर्ति के** सापेक्ष रु. 106776.00 का **अनियमित भुगतान** करने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **2**: पल्स पो लयो हेतु लेखन सामग्री के क्रय पर `14,800/- का अतिरिक्त व्यय ।

वर्ष 2016-17 में लेखन सामग्री हेतु मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय द्वारा नि वदा आमंत्रित क गयी थी, जिसमे व भन्न फ़र्मों द्वारा अपनी मूल्य/दर दिये गए एवं इन दरो का तुलनात्मक ववरण तैयार कया गया एवं इन्हे संबन्धित अधीनस्थ कार्यालयों जिनमे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशन के व भन्न कार्यक्रम अ धकारी भी थे को circulate कया । कार्यक्रम अ धकारियों द्वारा इन्ही नि वदित एवं स्वीकृत नि वदाओं के आधार पर सामग्री का क्रय कया जा रहा था ।

इसी क्रम में Immunization से संबन्धित लेखा अ भलेखों की जांच में देखा गया क लेखन सामग्री मेसेर्स संजय कुमार से क्रय क गयी । आगे जांच में यह देखा गया क indelible marker pen (पल्स पो लयो हेतु) में मेसेर्स दून लेखन मुद्रण सहकारी स मति, देहरादून के निम्नतम दर ` 28 प्रति indelible marker pen स्वीकृत था परन्तु दिनांक 05/10/2016 से 18/04/2017 तक 05 बिलो के माध्यम से 7400 indelible marker pen मेसेर्स संजय कुमार से ` 30 प्रति indelible marker pen का क्रय कया। इस प्रकार 7400 pen के क्रय पर `14,800/- का अतिरिक्त व्यय कया गया ।

इस संबंध में इं गत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क मार्कर सामग्री आपूर्ति हेतु मेसेर्स दून लेखन मुद्रण सहकारी स मति, देहरादून से अनुबंध निष्पादित नहीं कया गया परंतु यथाशीघ्र उक्त सामग्री उपलब्ध कराने हेतु मेसेर्स संजय कुमार से ` 30 प्रति indelible marker pen की ख़रीदारी की गयी थी ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्यों क स्वीकृत नि वदाओं/दरो के आधार पर ही सामग्री क्रय की जानी चाहिए थी। स्वीकृत दर वाली फ़र्म से अनुबंध न कर एवं दूसरी फ़र्म से अ धक दर पर सामग्री क्रय कर ` 14,800/- का अतिरिक्त व्यय कया गया ।

अत: पल्स पो लयो हेतु लेखन सामग्री के क्रय पर `14,800/- का अतिरिक्त व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
2005-06	1,2,3,4,5,6,7	1
2007-08	2	5
2008-09	1	7
2009-10	1	2
2010-11	2	--
2011-12	--	1
2012-13	1	1,2,3,4,5,6
2013-14	1	1,2
2015-16	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6
2016-17	--	1,2,3,4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वर्ष 2015-16 की अनुपालन आख्या महानिदेशक च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून को प्रे षत की जा चुकी है। प्रति संलग्न शेष वर्षो की अनुपालन आख्या तैयार की जा रही है। जिसे यथाशीघ्र महालेखाकार कार्यालय को प्रे षत कया जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य च कत्सा अ धकारी देहारादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i)

(ii) शून्य

(iii)

2. सतत् अनिय मतताएः

(i)

(ii) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अव ध
1.	डॉ वाई.एस. थप लयाल	मुख्य च कत्सा अ धकारी देहरादून	

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति मुख्य च कत्सा अ धकारी देहारादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.